

क्रमांक :- प.4(66)वित्त-1(1)आय.व्य/2019

जयपुर, दिनांक : 19/11/2020

स्वीकृति संख्या - 392/2020-21

कोषाधिकारी
बारां (राज.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति शाहबाद (बारां) के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रुपये 484.00 लाख मात्र के हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के द्वारा जारी निम्नांकित स्वीकृतियों में अंकित शर्तों के अनुसार, कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद, (बारां) के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रुपये 484.00 लाख (अक्षरे रुपये चार करोड़ चौरासी लाख) मात्र निम्नांकित बजट मदों को प्रभारित करते हुए हस्तान्तरित कर दी जावे।

मांग संख्या - 30

(राशि रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	बजट मद	स्वीकृति संख्या	राशि (केन्द्रीय सहायता)
1.	2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (19) - केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत संचालित योजनाएँ [02] - सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनान्तर्गत नवाचार योजनाएँ हेतु अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	क्रमांक-एफ.6 /सीटीएडी/ लेखा /बजट/प्रस्ताव/सी. एस.एस/ 2020-21/ जयपुर दिनांक 12.11.2020	10.00
2.	[04] - सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनान्तर्गत जनश्री बीमा योजना हेतु अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	31/2020-21	50.00
3.	[05] - सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनान्तर्गत सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी को मानदेय हेतु अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	32/2020-21	50.00
4.	[06] - सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनान्तर्गत सहरिया के मां- बाड़ी केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	33/2020-21	364.00
5.	[11] - सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनान्तर्गत जनजाति विद्यार्थियों के लिए कोचिंग 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	34/2020-21	10.00
	योग		484.00

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,

— Sd —
(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां)
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
7. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

परम/13
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

Email to CTSAD, Udaipur
Date:- 20/11/2020